न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 45/2018
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2018/00332

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट		मस्ताना दुग्ध उत्पादन समिति, खारडा (कृषि सहकारी समिति) जरिये अध्यक्ष फाउलाल लोढ़ा पुत्र रतनलाल लोढ़ा जैन निवासी 26 जोधपुरिया बास पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 05 कृषि सहकारी समिति भूमि आवंटन नियम 1959 सपठित धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह

–: निर्णय :–

दिनांक 29.07.2024

जैर प्रार्थना–पत्र न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 03/2014 बअनवान मस्ताना दुग्ध उत्पादन समिति बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 की पालना में दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रोहट द्वारा न्यायालय हाजा में यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 कृषि सहकारी समिति भूमि आवंटन नियम 1959 सपठित धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम खारडा में स्थित राजकीय कृषि भूमि खसरा संख्या 558/1 रकबा 400 बीघा रेस्पो. संस्था को सामुहिक रूप से कृषि कार्य कर उनके जीवन व्यापन हेतु आवंटित की गई परन्तु उक्त भूमि पर कोई कृषि सुधार एवं कृषि कार्य नहीं किया गया है। सोसायटी के संविधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष ऑडिट नहीं हो रही है। सोसायटी के सदस्य कृषि कार्य पर आधारित नहीं है, उनके जीवन व्यापन का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं होकर गैर कृषि कार्य है। जमीनों की कीमत बढ़ जाने के कारण सोसायटी के सदस्यों द्वारा भूमि का विक्रय किया जा रहा है। भूमि आवंटन 25 वर्षों के लिए लीज पर किया गया था परन्तु लीज नवीनीकरण का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व रेकर्ड में सोसायटी की भूमि सोसायटी के नाम लीज में अंकित होनी चाहिए उसके विपरीत सदस्यों के नाम अंकित कर दिये गये है। अतएव जैर आवंटन को निरस्त फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

उक्त आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई कर अपने प्रकरण संख्या 04/2012 दिनांक 12.03.2012 द्वारा रेस्पोडेण्ट को किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जे काश्त देने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.03.2012 के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां अपील संख्या 67/2012 दर्ज हुई जिसमें निर्णय दिनांक 26.11.2012 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2012 को अपास्त करते हुए पक्षकार तामील नहीं होने के कारण तामील की जाकर सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने को प्रकरण प्रति–प्रेषित किया गया। न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त प्रति–प्रेषण आदेशों के क्रम में पुनः इस न्यायायल के प्रकरण संख्या 04/2013 दर्ज की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2014 द्वारा आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि के सिवायचक करने एवं कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिये गये, उक्त आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध पुनः न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां अपील संख्या 03/2014 दर्ज होकर आदेश दिनांक 27.03.2018 द्वारा इस न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए प्रति–प्रेषण आदेश की पालना में रेस्पोडेण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण प्रति–प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली क आदेश दिनांक 27.03.2018 के क्रम में इस न्यायालय में पुनः प्रकरण दर्ज किया जाकर रेस्पोडेण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थी का जवाब पूर्व से रेकर्ड पर दिनांक 01.08.2013 उपलब्ध है। रेस्पोडेण्ट द्वारा वर्ष 2010–2011 चार्टर्ड अकाउटेण्ट द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें आय व्यय लेखा में घास विक्रय के 24800 रूपये दर्ज है परन्तु किसी से कोई आमदनी होना नहीं दर्शाया गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पुनः लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जिसमें जैर आराजी पर सामुहिक कृषि होना व ऑडिट करवाये जाने का वर्णन किया गया है। पुनः वर्ष 2016–2017 की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कृषि उत्पादन 13081 रूपये दर्शित किया गया है। वर्ष 2017–2018 की ऑडिट रिपोर्ट जिसमें कृषि उत्पादन 15354 रूपये दर्शित किया गया है।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि मूलतः आवंटन 25 वर्ष के लिए किया जाता है जिसका लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। आवंटी संस्था द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया गया है इस हेतु कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। आवंटन 400 बीघा भूमि का किया गया है परन्तु कृषि से आमदनी नहीं हुई है जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि जैर आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है अर्थात् जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है वह सम्पादित नहीं हो रहा है। अप्रार्थी संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना किया जाना कदापि प्रमाणित नहीं होता है।

अतएव अप्रार्थी संस्था को किया गया आवंटन प्रार्थी के आवेदन के अनुसार खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार, रोहट को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खारडा की आवंटित राजकीय कृषि भूमि खसरा संख्या 558/1 रकबा 400 बीघा को राजस्व रेकर्ड में पुनः सिवायचक दर्ज कर जैर आराजी को कब्जेराज प्राप्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक **29.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर, पाली